

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 05/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बालुलाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
—प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पिता जयनारायण ब्राह्मण
2. गिरिराज पिता जयनारायण ब्राह्मण
3. गोपाललाल पिता जयनारायण ब्राह्मण
4. छोटूलाल पिता जयनारायण ब्राह्मण
5. जगदीशचन्द्र पिता जयनारायण ब्राह्मण
6. कमलाबाई पत्नी जयनारायण ब्राह्मण
7. गंगा पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण
8. शान्ता पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण
9. गीता पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण
10. चुन्नीलाल पिता छगनलाल प्रजापत
11. राकेश पिता हीरालाल शर्मा
12. प्रकाश पिता हीरालाल शर्मा
13. सुशीला पुत्री हीरालाल शर्मा
14. विमला पुत्री हीरालाल शर्मा
15. प्यारी पत्नी हीरालाल शर्मा
16. रोशनलाल पिता शंकरलाल माली
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. शान्तिलाल पिता बालूराम झंवर
18. रामेश्वरलाल पिता बालूराम झंवर
सर्व निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
19. मांगी पत्नी मांगीलाल ब्राह्मण
20. कपिल पिता मांगीलाल ब्राह्मण
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::


निर्णय दिनांक:-26.03.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मैलुणी खेड़ा पटवार हल्का मैलुनी खेड़ा तहसील सहाड़ा के प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2680 रकबा 0.16 हे0, 2705 रकबा 0.09 हे0 2706 रकबा 0.34 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.59 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 319 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा